



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2008/ज्येष्ठ 15, 1930

No. 92]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2008/JYAISTHA 15, 1930

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

पुणे, 30 मई, 2008

सं. एक्स.-1/एसटी/ओएसआर/5207/2007 :- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (1970 का 5/1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में विनियम 5 में :

(क) उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के अंतर्गत, परंतुक के पश्चात् एवं टिप्पणी के पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :

“परंतु, जो अधिकार पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान/अवरोध वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ में ऐसी वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी।”

(ख) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण के खंड (घ) में, टिप्पणी (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी, अर्थात् :

“(iii) जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है, वह व्यावसायिक अर्हता भुगतान, उपयुक्त के अनुसार, का पात्र नहीं होगा।”

डी. आर. मेहरा, उपमहाप्रबंधक (मासंवि)

[विज्ञापन III/4/318/2008-असा.]

पाद टिप्पणी— उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन निम्न संख्या/दिनांक की अधिसूचनाओं द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए थे।

विनियम क्र.	अधिसूचना सं. और दिनांक	राजपत्र दिनांक
4(3)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
5	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
21(2)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
22(1)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/3169 दिनांक 19-5-2001	16-6-2001
22(2)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/3169 दिनांक 19-5-2001	16-6-2001
23(i)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
23(v)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/3169 दिनांक 19-5-2001	16-6-2001

विनियम क्र.	अधिसूचना क्र. और दिनांक	राजपत्र दिनांक
23(vi)	— दिनांक 7-12-1987	26-12-1987
23(x)	— दिनांक 7-12-1987	26-12-1987
24(1)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
25	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
35	—	—
36	—	—
41(4)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
42(2)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/3169 दिनांक 19-5-2001	16-6-2001
46(2)	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/14046/96 दिनांक 5-5-1997	17-5-1997
5	एक्स-1 कार्मिक/ओएसआर/853 दिनांक 11-3-2003	15-3-2003

**BANK OF MAHARASHTRA**

(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Pune, the 30th May, 2008

**S.O. No. AX-1/ST/OSR/5207/2007.**—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1970/1980 (5 of 1970/40 of 1980) the Board of Directors of the Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend (Bank of Maharashtra Officers' Service Regulation, 1979), namely :—

1. (1) **Short title and commencement.**—These regulations may be called Bank of Maharashtra Officers' Service Regulation, 1979 Amendment Regulations, 2006.

(2) These regulations shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Maharashtra Officers' Service Regulation, 1979 in regulation 5,—

(a) in sub-regulation (1), under clause (c) after the proviso and before the Note the following proviso shall be inserted, namely :

“Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered”

(b) in sub-regulation (2) in clause (d) of the Explanation, after Note (ii), the following Note shall be inserted, namely :

“(iii) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept promotion when offered”

D. R. MEHRA, Dy. General Manager (HRM)

[ADVT III/4/318/2008-Exty.]

**Foot Note:** The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India *vide* Notification Nos. with dates as below :

Regulation No.	Notification No. and Date	Date of Gazette
4(3)	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
5	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
21(2)	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
22(1)	AX-1/ST/OSR/3169 dated 19-5-2001	16-6-2001
22(2)	AX-1/ST/OSR/3169 dated 19-5-2001	16-6-2001
23(i)	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
23(v)	AX-1/ST/OSR/3169 dated 19-05-2001	16-6-2001
23(vi)	— dated 7-12-1987	26-12-1987
23(x)	— dated 7-12-1987	26-12-1987
24(1)	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
25	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-05-1997
35	—	—
36	—	—
41(4)	AX-1/ST/OSR/14046/96 dated 5-5-1997	17-5-1997
42(2)	AX-1/ST/OSR/3169 dated 19-5-2001	16-6-2001
46(2)	AX-1/ST/OSR/14046 dated 5-5-1997	17-5-1997
5	AX-1/ST/OSR/853 dated 11-2-2003	15-3-2003